न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 13/2023 बउनवानी कामिनी देवी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार निवासी बालेर तहसील खण्डार

GCMS No-2023/17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
22.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.11.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. दिनांक 16.11.2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत तरमीम संबधित सूचना तहसील कार्यालय खण्डार मे प्राप्त सूचना मे ग्राम बालेर मे कुल 217 व ग्राम कोसरा में कुल 224 एवं ग्राम रावरा मे कुल 83 तरमीम नक्शा शीट में होना बताया है जिसकी नक्शाशीट की प्रत्येक ख0न0सहित प्रत्येक ग्राम की तरमीम की छायाप्रति उपलब्ध करावे।
2. ग्राम रावरा मे ख0न0 288/45 रकबा 12 बिस्वा के सीमाज्ञान के आदेश की छायाप्रति सीमाज्ञान किये गये फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2022/821 दिनांक 14.2.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.11.2022 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को तहसील कार्यालय से एवं संबंधित पटवारी स्तर से उपलब्ध करवायी जा चुकी है एवं उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ट भी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.11.2022 मे चाही गयी सूचना पटवारी स्तर से एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ट है जिसके लिए स्वंय अपीलान्ट द्वारा सूचना से [illegible] होने की लिखित में सहमति दी गयी है। चूंकि चाही गयी सूचना [illegible] चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर